

तारीख  
हुक्म

वकील वाहीगण ने प्राथम्य वाले मूल  
वाइ श्वायिज कराने पेश किया और  
कथन किया कि वह दावा 'आगे नहीं'  
चलाना चाहते हैं। वकील वाहीगण  
ने दावा नोइप्रेस किया।

श्री. अ. अ. अ.  
रविक

आज दावा वाहीगण नोइप्रेस के  
आधार पर श्वायिज किया जाता है।  
तथा दिनांक 20.12.2018 को जारी  
अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती  
है। पत्रावली केवल सुनार एंडर  
एक जाया वाइ वकील दारिजल इप्लर  
का

कोर्ट के माध्यम से

सहायक कलेक्टर मुंबई  
धोलापुर (राज.)